

करारोपण के प्रभाव

(Effects of Taxation)

कर सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है पर कर लगाते समय सरकार केवल यही नहीं देखती है कि किस प्रकार से कर लगाया जाय जिससे सरकार को अधिकतम आय प्राप्त हो बल्कि साथ ही कर के अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखती है। डाल्टन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 'आर्थिक दृष्टि से उत्तम कर प्रणाली वही है जिसका कम से कम बुरा प्रभाव ही अर्थव्यवस्था पर पड़े।' इस प्रकार करारोपण से उत्पन्न होने वाला आर्थिक प्रभाव ही वह कसीटी है जिससे किसी कर प्रणाली की उत्तमता तथा उपादेयता निर्धारित की जा सकती है। करारोपण एक ऐसा माध्यम है जो एक और लोगों की बचत तथा कार्य करने की इच्छा को प्रभावित करके तथा सरकार के हाथ में पूँजी के हस्तान्तरण के द्वारा उत्पादन को प्रभावित करता है, दूसरी ओर जनता के हाथ से क्रयशक्ति निकालकर आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है, बचत के प्रोत्साहन तथा गतिशीलन में सहायक होकर पूँजी निर्माण की दर में वृद्धि लाता है तथा धनी से आय प्राप्त करके गरीब को दिलाने, इस प्रकार आय के वितरण की असमानता को दूर करने में सहायक होता है। करारोपण के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या हम निम्नांकित शीर्षकों से करेंगे-

(1) करारोपण के उत्पादन पर प्रभाव डाल्टन ने करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या को तीन भागों में की है-

जहाँ तक कार्य करने की सामर्थ्य का प्रश्न है सामान्यतया करारोपण का इसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कर के कारण व्यक्ति की आय में कमी आती है, उसका रहन-सहन का स्तर गिरता है तथा उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित होगा कि सभी कर निश्चित रूप से कार्यक्षमता में कमी नहीं लाते। हाँ, यदि ऐसी वस्तुओं पर कर लगा दिये जाये जिन्हें सामान्यतया कार्य करने वाली जनता प्रयोग में लाती है तो कार्य-क्षमता घटेती पर यदि सरकार कर विलासिता की वस्तुओं पर लगाती है तो इससे कार्यक्षमता में कमी नहीं आयेगी। डाल्टन के अनुसार "किसी भी व्यक्ति वस्तुओं पर लगाती है तो इससे कार्यक्षमता में कमी नहीं आयेगी।" कर का कार्यक्षमता, कार्यक्षमता और इनके बद्दों की भविष्य की कार्यक्षमता में कमी का कारण होगी।" कर का कार्यक्षमता पर प्रभाव संचयी होता है क्योंकि आय में कमी कार्यक्षमता में कमी लाती है। कार्यक्षमता में कमी आय में और कमी लाती है तथा इसी प्रकार यह दोषपूर्ण चक्र चलता ही जाता है। इसीलिए सरकार को यथासम्भव वह कर लगाने चाहिये जिनका प्रभाव निर्धन व्यक्तियों के उपभोग पर कम पड़े।

जहाँ तक करारोपण का बचत की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रश्न है सामान्यतया यह माना जाता है कि करारोपण के कारण 'बचत की क्षमता' कम हो जाती है। इसके दो कारण हैं। प्रथम-करारोपण के कारण आय की मात्रा कम हो जाती है। फलस्वरूप उपभोग के उसी स्तर पर बने रहने पर भी बचत की मात्रा कम हो जायेगी क्योंकि बचत आय का ही तो फलन है अर्थात् बचत आय पर ही तो निर्भर है। दूसरा-करारोपण के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है फलस्वरूप मूल्यस्तर में वृद्धि होती है। इसके कारण उसी स्तर पर उपभोग के बनाये रखने के लिए उपभोक्ता को अधिक आय खर्च करनी पड़ती है। इस प्रकार बचत हतोत्साहित होती है। पर यदि कर व्यय के ऊपर लगाया जाय तो लोग व्यय कम करना चाहेंगे, फलस्वरूप बचत क्षमता में वृद्धि होगी, कमी नहीं।

(ख) बचत तथा कार्य करने की इच्छा पर प्रभाव करारोपण के कारण बचत तथा कार्य करने की इच्छा भी प्रभावित होती है जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में आय तथा उत्पादन प्रभावित होगा। जहाँ तक कार्य करने की इच्छा तथा बचत के सम्बन्ध में प्रयास का प्रश्न है यह कर तथा करदाता के स्वभाव पर बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रत्येक कर के दो भाग होते हैं—आय प्रभाव (Income Effect) तथा प्रतिस्थापन प्रभाव (Substitution Effect)। जब कोई और कर लगाया जाता है तो करदाता की आय में कमी आ जाती है जो करदाता को और अधिक कार्य करने के लिए बाध्य कर देती है। यह करारोपण का आय-प्रभाव है। पर करारोपण का प्रतिस्थापन प्रभाव भी होता है। जब कर लगाया जाता है तो करदाता यह अनुभव कर सकता है कि उसके परिश्रम का उचित प्रतिफल नहीं मिलेगा क्योंकि उसके कठिन परिश्रम के कारण आय में जो वृद्धि होगी उसका अधिकांश सरकार कर के माध्यम से ले लेगी। उसे आराम अधिक आकर्षक प्रतीत होगा और वह कार्य नहीं करेगा। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि करारोपण का आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा अधिक प्रबल रहा तब तो कार्य करने की इच्छा तथा बचत बढ़ेगी अन्यथा नहीं।

करारोपण से उत्पन्न आय प्रभाव कितना शक्तिशाली होगा यह आय के लिए करदाता की मांग की लोच पर निर्भर करेगा अर्थात् करारोपण के कारण करदाता की जो आय में कमी होती है उसे पूरा करने का कहाँ तक वह प्रयास करता है। यदि आय के लिये माँग की लोच लोचदार रही तो कार्य तथा बचत करने की इच्छा में कमी आयेगी, फलस्वरूप उत्पादन में कमी आयेगी क्योंकि ऐसी स्थिति आय-प्रभाव की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगा। पर यदि आय के लिये करदाता की मांग की लोच कम लोचदार रही तो प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में आय-प्रभाव अधिक प्रबल होगा, कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा में कमी नहीं होगी, बल्कि इनमें वृद्धि होगी। प्रश्न यह है कि किसको प्रबल माना जाय। यदि हम सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार करें तो हम यह पायेंगे कि किसी कर का आय प्रभाव उसी समय प्रबल होता है जब करदाता जीवन-यापन के बराबर ही आय प्राप्त करता हो पर न्याय की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा कि उन व्यक्तियों पर कर अधिक लगाया जाय जिनकी आय बहुत ही कम हो। व्यावहारिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि होती है कि लोगों में आय के लिए माँग की लोच बहुत कम होती है क्योंकि व्यक्ति एक रहन-सहन के स्तर का आदी हो जाता है और जब उसकी आय कम होती है तो वह उस आय की कमी को पूरा करने का यथासम्भव प्रयास करता है, इतना ही नहीं सामान्यतया लोग अपने पास अधिक-से-अधिक सम्पत्ति संचित करके रखना चाहते हैं तथा अधिक से अधिक सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी को छोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में करारोपण के बाद भी कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा हतोत्साहित नहीं होगी। डाल्टन इस सम्बन्ध में कहते हैं कि "इन सभी स्थितियों में आय को प्राप्त करने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि आय कर की प्रचलित दर की प्रत्येक वृद्धि कार्य करने के प्रयास में वृद्धि लाती है जिससे बढ़ी हुई आय में से कर भुगतान किया जा सके।" कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिल सकते हैं जिनकी आय में माँग की लोच इकाई के बराबर होती है अर्थात् आय की कमी के बाद भी उनकी कार्य करने की इच्छा तथा बचत करने की इच्छा पूर्ववत् बनी रहती है। इसके सम्बन्ध

में प्रो. पीगू लिखते हैं कि सभी धनी व्यक्तियों को आय से प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि का एक बहुत बड़ा भाग इसलिए प्राप्त होता है कि क्योंकि उनकी आय समाज के अन्य व्यक्तियों से अधिक है, उसे सन्तुष्टि इसलिए नहीं अधिक है कि उसके पास बहुत अधिक सम्पत्ति है बल्कि इसलिये है कि अन्य लोग गरीब हैं। ऐसी स्थिति में यदि करारोपण के बाद भी सभी व्यक्तियों की सापेक्ष स्थिति पूर्ववत् बनी रहे तो उस व्यक्ति की सन्तुष्टि में कोई कमी नहीं आयेगी। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति में एक निश्चित ढंग से कार्य करने की आदत पड़ जाती है फलस्वरूप उसकी आदत अपरिवर्तित रहती है।

अल्पविकसित देशों में सरकार करारोपण के द्वारा कार्य करने की प्रेरणा दे सकती है तथा विनियोग को प्रोत्साहित कर सकती है। करारोपण के द्वारा सरकार निम्नलिखित प्रकार से विनियोग को प्रेरित कर सकती है—(1) सरकार अपनी करारोपण नीति इस प्रकार से निर्मित कर सकती है जिससे यह प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में बचत तथा विनियोग को प्रोत्साहित करे। सरकार इसके लिये नये उद्योगों को खोलने के लिए प्रारम्भिक वर्षों में विकास छूट तथा नये एवं पुराने उद्योगों को आय कर की छूट दे सकती है, (2) करारोपण के द्वारा बचत या विनियोग की व्यक्तिगत इच्छा एक समय को हतोत्साहित हो जाय पर सरकार इसके द्वारा सम्पूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था की इस इच्छा में वृद्धि ला सकती है क्योंकि सरकार जो आय प्राप्त करेगी वह भी विकासात्मक कार्यों में विनियोजित हो सकती है। इतना ही नहीं जैसा प्रो० हशमैन ने कहा सरकार सामाजिक उपपरिव्यय पूँजी जैसे यातायात, शिक्षा आदि पर व्यय करके अन्य क्षेत्रों में निजी विनियोग प्रोत्साहित कर सकती है। (3) सरकार करारोपण के द्वारा आयात को हतोत्साहित करके देश के उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है। पर यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि कर सम्बन्धी प्रेरणा, अभिवृद्धि की अवस्था में, उद्योगपति लाभ के सम्बन्ध में अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपना लेता है तो कर की अत्यन्त ही ऊँची दर भी विनियोग को हतोत्साहित नहीं कर पाती है। इसी प्रकार अवसाद की स्थिति में सरकार की कर-नीति असफल हो जाती है, कोई व्यक्ति कर की छूट के बाद भी विनियोग नहीं करना चाहता है।

(म) उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण पर प्रभाव किसी देश में आर्थिक कल्याण की मात्रा केवल देश में उत्पादन के स्तर पर निर्भर नहीं करती है बल्कि उत्पादन के ढांचे पर भी निर्भर करती है अर्थात् इस पर निर्भर करती है कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तथा किन-किन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। उत्पादन का ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास के बीच उत्पादन के साधनों का किस प्रकार से वितरण हो रहा है। करारोपण के द्वारा सरकार साधनों के वितरण को प्रभावित कर सकती है तथा वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकती है जैसे (क) यदि सरकार किसी पिछड़े क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं पर कर की छूट दे दे तो इसके परिणामस्वरूप विकसित क्षेत्रों से उत्पादन के साधन इस पिछड़े क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगें, इस प्रकार करारोपण देश के संतुलित विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। (ख) यदि सरकार ऐसी वस्तुओं पर कर की दर अधिक बढ़ा दे जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हानिप्रद हैं जैसे शराब, सिगरेट आदि या जिनके उपभोग से कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं होती है जैसे विलासिता की वस्तुयें तो इन वस्तुओं का उत्पादन हतोत्साहित होगा, और इन उद्योगों से निकलकर साधन कार्यक्षमता में वृद्धि लाने वाले तथा सामाजिक दृष्टि से वांछित वस्तुओं के उत्पादन की ओर प्रवाहित होने लगें।


पर यहाँ एक बात स्पष्ट कर देने की है कि करारोपण के द्वारा इस प्रकार के परिणाम को प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि साधनों का पुनर्वितरण हानिप्रद भी हो सकता है जैसे (क) यदि सरकार उपभोग को नियंत्रित करने के लिए घरेलू वस्तुओं के ऊपर अधिक कर लगा दे तो देश के साधन सस्ती विदेशी वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रवाहित होने लगें (ख) यदि करारोपण के द्वारा किसी स्थानीय उद्योग को विकसित किया जाय जिसकी उत्पादन लागत अधिक हो तो इसका बोझ हमेशा उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ेगा। (ग) यदि सरकार उपयोगी वस्तुओं

पर कर लगा दे तो इनकी माँग कम हो सकती है परिणामस्वरूप इनका उत्पादन कम होने लगेगा, और साधन उपयोगी से कम उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की ओर प्रवाहित होने लगेंगे।

(4) आय के वितरण पर करारोपण का प्रभाव- सरकार अपनी करनीति के द्वारा अर्थव्यवस्था में आय के वितरण को प्रभावित कर सकती है। यदि सरकार यह सोचे कि आय की असमानता चांथित है क्योंकि आय की असमानता पूँजी निर्माण के लिए आवश्यक है (क्योंकि गरीब वर्ग में उपभोग की इच्छा अधिक होती है, यदि आय को समान रूप से वितरित कर दिया जाय तो उपभोग में वृद्धि होगी वचत में नहीं वृद्धि होगी) तो सरकार प्रतिगामी करों का सहारा ले सकती है। पर आजकल अधिकांश देश समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष बल देते हैं, इसलिये आय की विषमता को दूर करने का प्रयास करते हैं। करारोपण द्वारा सरकार इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकती है। सरकार इसके लिए दो कार्य कर सकती है-एक तो सम्पत्ति तथा आय के केन्द्रीकरण पर रोक, दूसरे बढ़ती हुई आय का अधिकांश गरीब को मिले, जिसे दूसरे रूप में हम धनी से गरीब के हाथ में आय का हस्तान्तरण भी कह सकते हैं। सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों के माध्यम से आय की असमानता में कमी ला सकती है। अत्यन्त ही प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों के द्वारा बढ़ती हुई आय का अधिकांश धनी व्यक्तियों के हाथ से ले सकती है, आयकर, सम्पत्ति कर आदि इसके सम्बन्ध में उदाहरण स्वरूप रखे जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप आय तथा सम्पत्ति का कुछ ही हाथों में केन्द्रीकरण न हो सकेगा। परोक्ष कर अत्यधिक प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं पर सरकार उन वस्तुओं पर जो केवल धनी व्यक्तियों के ही उपभोग में आती हैं, वहुत अधिक कर लगा कर आय की विषमता में कमी ला सकती है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि यदि सरकार धनी व्यक्तियों पर वहुत अधिक मात्रा में कर लगाकर आय प्राप्त करे तथा उसे सार्वजनिक व्यय या अनुदान या आर्थिक सहायता के माध्यम से गरीब वर्ग में वितरित कर

दे तो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि हो जायेगी। इसका रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शन पहले ही किया जा चुका है, पर यहाँ हम इस संदर्भ में पुनः इसे दे रहे हैं-इस रेखाचित्र में MU सीमान्त उपयोगिता वक्र है जो गरीब तथा दोनों वर्गों के लिए मौद्रिक आय से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता प्रदर्शित करती है। गरीब व्यक्ति के पास OR तथा धनी व्यक्ति के पास OE मौद्रिक आय है। रेखाचित्र से यह स्पष्ट है कि यदि धनी-व्यक्ति से सरकार करारोपण के द्वारा DE मौद्रिक आय ले ले तथा इसे गरीब व्यक्ति को दे दे (RS=DE), तो कुल कल्याण (धनी + गरीब व्यक्ति का कल्याण) में वृद्धि होगी क्योंकि आय के उस हस्तान्तरण से कल्याण में कमी DC (धनी के कल्याण) के वरावर होगी तथा कल्याण में वृद्धि (गरीब के कल्याण) BS-CD = BF, कल्याण में निवल वृद्धि होगी (CD=SF)

2) आर्थिक स्थिरता, रोजगार में वृद्धि तथा करारोपण-सार्वजनिक व्यय की ही तरह सरकार करारोपण के द्वारा भी आर्थिक क्रियाओं का नियमन कर सकती है। कायात्मक वित्त (Functional Finance) के प्रतिपादक आधुनिक अर्थशास्त्री प्रो० ए०पी० लनर तो यह प्रतिपादित करते हैं कि करारोपण को राजकीय आय के स्रोत के रूप में नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए बल्कि आर्थिक क्रियाओं के नियमन के साधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुसार करारोपण अर्थव्यवस्था से क्रयशक्ति निकालने



का एक माध्यम है इसलिए सरकार को इसका प्रयोग उसी समय करना चाहिए जब सरकार यह अनुभव करे कि अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक क्रयशक्ति पहुँच गयी है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक स्थिरता खतरे में है।

इस प्रकार मुद्रा स्फीति की स्थिति में सरकार भारी मात्रा में करारोपण के द्वारा अर्थव्यवस्था से क्रयशक्ति निकालकर अर्थव्यवस्था को आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकाल सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि करारोपण के द्वारा मुद्रा स्फीति की स्थिति नियन्त्रित की जा सकती है, वे अपने मत के समर्थन में यह तर्क रखते हैं कि (i) करारोपण करदाता के हाथ में क्रयशक्ति में कमी लाता है, जिसके कारण मांग में कमी आती है तथा मुद्रा स्फीति नियन्त्रित हो जाती है (ii) यदि वस्तुओं पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगा दिये जायें तो उनके मूल्य में वृद्धि होगी फलस्वरूप इनकी माँग में कमी होगी।

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है और वह यह है कि कहाँ तक करारोपण मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने में सफल हो सकेगा यह अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करेगा। करारोपण जितना ही व्यय में कमी लायेगा तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा उतना ही करारोपण मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने में अधिक प्रभावपूर्ण होगा। मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने की दृष्टि से कुछ लोग परोक्ष करों पर बल देते हैं तो कुछ लोग आयकर जैसे अत्यंत ही प्रगतिशील प्रत्यक्ष करों पर बल देते हैं। जो लोग परोक्ष करों पर बल देते हैं वे यह तर्क देते हैं परोक्ष कर जो वस्तुओं पर लगाये जाते हैं अधिक प्रतिगामी होते हैं इसलिए आयकर की अपेक्षा उपभोग को नियन्त्रित करते हैं। उच्च आय वर्ग की अपेक्षा अलग आय वर्ग वाले लोग अपनी आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करते हैं इसलिए कर में वृद्धि उनके उपभोग में कमी लायेगी जब कि आयकर के सम्बन्ध में इस बात की सम्भावना अधिक होगी कि इसका भुगतान बचत में से हो जाय, फलस्वरूप उपभोग में कमी नहीं आयेगी। वे लोग जो आयकर पर अधिक बल देते हैं उनका कहना है कि उच्च वर्ग में विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं पर व्यय की इच्छा अधिक बलवती होती है, यदि आयकर के माध्यम से बहुत अधिक क्रयशक्ति उनसे ले ली जाय तो उनका व्यय नियन्त्रित होगा। उचित यह है कि दोनों करों का सहारा लिया जाय।

करारोपण के द्वारा रोजगार भी सृजित किया जा सकता है। एक ओर तो सरकार कर आय को रोजगार सृजन में व्यय करके रोजगार सृजित कर सकती है। दूसरी ओर सरकार अपनी करारोपण नीति को इस प्रकार निर्मित कर सकती है जिससे अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्योग प्रोत्साहित हों जो श्रम बहुल हों अथवा जिनमें रोजगार सृजन की शक्ति बहुत अधिक हो।